न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
अतिक्रमण अपील वाद संख्या–95/11–12
भुवनेश्वर यादव बनाम बिहार सरकार एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारिख :	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारिख सहित
23/12/2016	**आदेश** उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थी द्वारा विविध वाद संख्या–04/10–11 भुवनेश्वर यादव बनाम राम मोहन यादव एवं अन्य में अंचल अधिकारी, बहेड़ी द्वारा पारित आदेश दिनांक–27.06.2011 के विरूद्ध दायर किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि वर्ष–2010 में प्रत्यर्थीगण श्री ब्रजमोहन यादव एवं अन्य द्वारा मौजा कुशयाम, अंचल–बहेड़ी स्थित भूमि पुराना खेसरा नम्बर–106 नया 196 एवं पुराना 146/ नया 203 जो हाल सर्वे में रास्ता है कि भूमि को चहार दिवारी देकर अतिक्रमित कर लिया गया, जिसमें आवागमन प्रभावित हुआ है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का यह भी कथन है कि उक्त अतिक्रमित भूमि की पैमाईश अंचल अमीन द्वारा की गई एवं प्राप्त अनुमोदन अनुरूप अतिक्रमणकारी के विरूद्ध सूचना निर्गत की गई। अतिक्रमणकारी श्री ब्रजमोहन यादव एवं अन्य के द्वारा हकियत वाद संख्या–102/2008 अन्तर्गत धारा–106 बी0टी0 एक्ट (राम मोहन यादव एवं अन्य बनाम बिहार सरकार द्वारा अंचल अधिकारी, बहेड़ी) में पारित गलत आदेश दिनांक–23.02.2011 अंचल अधिकारी, बहेड़ी) बिना सत्यता की जाँच किये ही विविध वाद संख्या–04/2010–11 को संचिकास्त कर दिये हैं। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का विशेष रूप से कथन है कि सहायक बन्दोवस्त पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश 23.02.2011 को जाल–फरेवी एवं अंचल अधिकारी, बहेड़ी द्वारा पारित को निरस्त करते हुए संबंधित रास्ते की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने की कृपा की जाय। प्रत्यर्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी द्वारा दायर अपील वाद तंग–तबाह करने के नियत से दायर किया गया है एवं विचारण योग्य नहीं है। उक्त के समर्थन में कहना है कि संबंधित भूमि पुराना खेसरा नम्बर–106 एवं 147 पर प्रत्यर्थीगण का आवासीय मकान वो सहन है। पूर्व के नक्शा के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त दोनों पुराना खेसरा में रास्ता नहीं है। अंचल अमीन के प्रतिवेदन से भी यह स्पष्ट है कि पुराना खतियान के खेसरा संख्या–106 परती कदीम व कब्जे गैर मजरूआ खास मालिक है वहीं पुराना खेसरा नम्बर–146 में मकान मय सहन अंकित है। वर्त्तमान हाल सर्वे में अंचल अमला के मिली भगत व गलत मंशा से उक्त भूमि के कुछ अंश को नया खेसरा संख्या–196 एवं 203 में रास्ता दर्ज कर दिया गया है। जिसके सुधार हेतु सहायक बन्दोवस्त पदाधिकारी, दरभंगा के न्यायालय में एक हकियत वाद संख्या–102/2008 दायर किया गया एवं सभी पक्षों को सुनकर एक विधि सम्मत आदेश दिनांक–23.02.2011 को पारित किया गया जिसके आलोक में अंचल अधिकारी, बहेड़ी पूर्ण रूप संतुष्ट होकर विविध अतिकमण वाद संख्या–04/2010–11 में अंतिम आदेश दिनांक–27.06.2011 को पारित वाद की कार्रवाई को समाप्त किये है। अंचल अधिकारी, बहेड़ी द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत आदेश है, जिसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। उक्त आदेश की वास्तविक व सत्यता को चिन्हित करने हेतु विधि प्रशाखा, दरभंगा के पत्रांक–108 II दिनांक–30.07.2015 से प्रतिवेदन अभिलेख पर संधारित है। सहायक बन्दोवस्त पदाधिकारी, दरभंगा के	

प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि समाहर्त्ता न्यायालय में चल रहे अतिक्रमण वाद संख्या–95/11–12 में संलग्न दफा–106 बी0टी0 एक्ट के अन्तर्गत वाद संख्या–102/2008 अंचल बहेड़ी के आदेश की सच्ची प्रतिलिपि की छायाप्रति जो चिरकूट संख्या–227 दिनांक–26.11.2011 द्वारा निर्गत दर्शाया गया है का कार्यालय में रक्षित अभिलेख के गहण जाँच किया गया। जाँचोपरांत पाया गया कि वाद संख्या–102/2008 अंचल बहेड़ी स्कूटनी स्तर पर ही लंबित है, जो कार्यालय में उपलब्ध है। कार्यालय द्वारा चिरकूट संख्या–227 दिनांक–26.04.2011 द्वारा वाद संख्या–51/98 अंचल सिंघिया का सच्ची प्रतिलिपि निर्गत किया गया है। प्रतिवेदन में यह तथ्य भी अंकित है कि वर्णित वाद में न तो आदेश पारित किया गया है और न ही सच्ची प्रतिलिपि कार्यालय से निर्गत किया गया है।

अतएव मेरा सामाधान है कि सहायक बन्दोवस्त पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा पारित आदेश दिनांक–23.02.2011 के आलोक में अंचल अधिकारी, बहेड़ी द्वारा पारित अंतिम आदेश दिनांक–27.06.2011 (विविध वाद संख्या–04/2010–11) एक तथ्यात्मक भूल की उपज है, जिसे निरस्त किया जाता है तथा अंचल अधिकारी, बहेड़ी को निदेशित किया जाता है कि अपने स्तर से व्यक्तिगत रूचि लेते हुए संबंधित भूमि को अविलम्ब अतिक्रमण मुक्त कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को संसूचित करें।

आदेश की प्रति अनुपालनार्थ अंचल अधिकारी, बहेड़ी को भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

23/12/16

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा। समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा।

ज्ञापांक ______ / जिला विधि, दिनांक ______/17

प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, बहेड़ी आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय का अभिलेख अनुपालनार्थ भेजें।

ह०/-
प्रभारी पदाधिकारी
जिला विधि प्रशाखा,
दरभंगा।

ज्ञापांक 54 / जिला विधि, दिनांक 10-01-/17

प्रतिलिपि :- विज्ञान प्रावौधिकी प्रबन्धक, एन० आई० सी०, दरभंगा को सूचनार्थ तदनुसार अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी
जिला विधि प्रशाखा
दरभंगा।